रजिस्ट्री सं. डी. (डी एन.)-72 REGISTERED No. D. (D N.)-71

11/12/86

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 223] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 6, 1986/आश्विन 14, 1908
No. 223] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 1986/ASVINA 14, 1908

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

निर्यात व्यापार नियंत्रण

सार्वजनिक सूचना सं. 20-ईटीसी(पीएन)/86

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 1986

विषय :—1 जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर, 1987 तक संयुक्त राज्य अमरीका यूरोपीय, आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों, आस्ट्रिया, फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे और कनाडा को खुले सामान्य लाइसेंस-3 के अंतर्गत पोशाकों और सलाई से तैयार किए गए वस्त्रों को निर्यात करने के लिए स्कीम।

फा. सं. 2/65 (क)/85-ई-1 :—यह स्कीम तैयार पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों की कतिपय मदों के संयुक्त राज्य अमरीका, यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सदस्य राज्यों (जर्मनी गणतंत्र संघ, फ्रांस, इटली, बेनिलक्स, यू. के., आयरिश गणतंत्र, डेनमार्क और ग्रीस) आस्ट्रिया फिनलैंड, स्वीडन, नार्वे और कनाडा का 1 जनवरी, 1987 से 31 दिसम्बर 1987 तक की अवधि के लिए निर्यात से संबंधित है।

2. योजना को प्रशासित करने के लिए अभिकरण :

(1) जब तक अन्यथा रूप से निदेश न दिया जाए तब तक परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए. ई. पो. सी.) निर्यात हकदारियों का आबंटन करेगी और इस योजना के अंतर्गत आने वाली सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आवश्यक प्रमाणन करेगी, परन्तु सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों का आबंटन ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली (डब्ल्यू. एंड डब्ल्यू. ई. पी. सी.) द्वारा किया जाएगा। लेकिन सलाई से बुने हुए वस्त्रों के संबंध में अपेक्षित प्रमाणन परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा किया जाता रहेगा। इस योजना के अंतर्गत आने वाले वस्त्र उत्पादों की श्रेणियों की सूचियां परिधान निर्यात संवर्धन परिषद और ऊन और ऊनी निर्यात संवर्धन परिषद के पास उपलब्ध है। सरकार को यह अधिकार होगा कि योजना के प्रशासन के लिए अभिकरणों के संबंध में जैसा वह उचित समझे परिवर्तन कर सकती है।

(2) निर्यात हकदारी केवल उन निर्यातकों के ही अनुमेय होगी जो कि सक्षम पंजीकरण प्राधिकारियों के साथ पंजीकृत है।

(3) आबंटन की प्रणाली और मात्रा :

(1) निर्यात के लिए मात्रा प्रत्येक के सामने संकेतिक दर पर निम्नलिखित प्रणाली के अनुसार आबंटित की जाएगी :—

प्रणाली	वार्षिक स्तर का प्रतिशत
(क) भूतकालीन निष्पादन	65
(ख) पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश	25
(ग) विनिर्माता/निर्यातक	7

(घ) केन्द्रीय/राज्य निगम 2

(ङ) बिना कोटे वाले निर्यातक 1

(2) यदि सरकार उचित समझे तो उसे द्विपक्षीय समझौते में दी गयी उदारता का उपयोग करने का अधिकार होगा।

4. आबंटन वर्ष का विभाजन तथा अवधियों के बीच मात्रा का संविभाजन :

(1) भूतकालीन निष्पादन हकदारी, एम.ई.ई और सान-फोटा निर्यात पद्धति के मामले में, वर्ष को तीन अवधियों में बांटा जाएगा। पहली अवधि 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक और दूसरी अवधि 1 मई से 31 जुलाई तक और तीसरी अवधि 1 अगस्त से 30 सितम्बर तक होगी। कुल हकदारी का कम से कम 50 प्रतिशत प्रथम अवधि के अन्तर्गत उपयोग में लाया जाना चाहिए। अन्य 25 प्रतिशत को 1 मई और 31 जुलाई के बीच उपयोग किया जाना चाहिए और शेष 25 प्रतिशत को 1 अगस्त और 30 सितम्बर के बीच उपयोग में लाया जाना चाहिए। प्रत्येक अवधि के अंत में कोई भी अप्रयुक्त बची हुई मात्रा स्वतः ही अभ्यर्पित हो जाएगी। लेकिन, 30 सितम्बर के बाद आबंटन पैरा 16(2) के उपबंधों के अनुसार वैध किया जाए।

(2) केन्द्रीय/राज्य निगम और पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे आदेशों की प्रणाली के मामले में बुनी हुई मदों के मामले में वर्ष चार-चार, माहों की तीन अवधियों में अर्थात् जनवरी-अप्रैल, मई-अगस्त और सितम्बर-दिसम्बर में विभाजित किया जाएगा और सलाई से बुनी हुई मदों के मामले में दो अवधियों, अर्थात् जनवरी, अगस्त और सितम्बर-दिसम्बर में विभाजित किया जाएगा। केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणाली के मामले में बुनी हुई मदों के लिए मात्राएं 50:35:15 के अनुपात में तीन अवधियों में वितरित की जाएगी, और पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति छोटे आदेश पद्धति के मामले में वार्षिक स्तर का 15 प्रतिशत प्रथम अवधि में 7 प्रतिशत दूसरी अवधि में और 3 प्रतिशत तीसरी अवधि में वितरित किया जाएगा। जबकि सलाई से तैयार मदों के लिए मात्रा दोनों पद्धतियों में 85:15 के अनुपात में दो अवधियों में वितरित की जाएगी।

(3) उपर्युक्त प्रतिशत को विदेशी बाजार के रुझान को देखते हुए सरकार पुनः समंजित कर सकती है।

5. खंडों को आरक्षित रखना :

(1) पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेशों तथा केन्द्रीय/राज्य निगमों की पद्धतियों के मामले में जहां पर आबंटन सलाई से बुने हुए पोशाकों के साथ मिला दिया जाता है, वहां उपलब्ध 10 प्रतिशत की मात्रा सलाई से बुनी हुई पोशाकों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी।

(2) बच्चों की पोशाकों के लिए अंतिम तिथि को सभी श्रेणियों में उपलब्ध मात्राओं का 10 प्रतिशत सुरक्षित रखा जाएगा।

(3) ऊनी पोशाकों के लिए यह आरक्षण विनिर्दिष्टकृत देशों और श्रेणी की मात्राओं की शर्त के अनुसार किया जाएगा। इसकी घोषणा वस्त्र आयुक्त द्वारा की जाएगी।

6. भूतकालीन निष्पादन प्रणाली :

भूतकालीन निष्पादन हकदारी की परिगणना करने के लिए अभिकरण :

(1) प्रत्येक निर्यातक के बारे में भूतकालीन निष्पादन प्रणाली के अंतर्गत मात्रा की हकदारी की गणना के लिए अभिकरण वस्त्र परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (ए.ई.पी.सी.) होगी। वस्त्र आयुक्त इस संबंध में क्रियाविधि का निर्धारण करेगा और ए. ई. पी. सी. के कार्य का सर्वेक्षण करेगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारी के लिए पात्रता पद्धति :

(2) 1987 वर्ष के लिए भूतकालीन, निष्पादन प्रणाली के अधीन कोई निर्यातक किसी मात्रा के आबंटन के लिए केवल तब पात्र होगा जब कि उसने तीन वर्षों, अर्थात् 1984, 1985 और जनवरी-जून 1986 में से किन्हीं दो वर्षों के दौरान संबंधित देश/श्रेणी में निर्यात किया हो।

आधार अवधि और सीमा :

(3) भूतकालीन निष्पादन हकदारी 1984, 1985 और जनवरी-जून, 1986 की आधार अवधि के दौरान घोषित वार्षिक निर्यातों के आधार पर प्रत्येक देश/श्रेणी समूह के यथानुपात के लिए निश्चय किया जाएगा। भूतकालीन निष्पादन हकदारी का यथानुपात आबंटन संबद्ध देश/श्रेणी में आधार अवधि के दौरान निर्यातक के औसत वार्षिक निर्यात निष्पादन के बराबर अधिकतम उच्चतम सीमा के अधीन होगा। किसी भी व्यक्तिगत निर्यातक की हकदारी में बाद में होने वाले किसी भी परिवर्तन के मामले में यथानुपात मात्रा की पूर्ण प्रक्रिया पुनः दुहराने की आवश्यकता नहीं है लेकिन निर्यातक की हकदारी में उचित समंजन कर दिया जाएगा।

भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तान्तरण :

(4) भूतकालीन निष्पादन हकदारी 30 सितम्बर, 1987 तक किसी भी समय या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से पोशाकों के अन्य पंजीकृत निर्यातक को निम्नलिखित शर्तों के अधीन हस्तान्तरित की जा सकती है :—

(क) भूतकालीन निष्पादन हकदारी के सभी हस्तांतरण केवल हस्तांतरी द्वारा 10 प्रतिशत बैंक गारन्टी के प्रस्तुत करने पर ही अनुमत किए जाएंगे।

(ख) हस्तांतरी को हस्तांतरित मात्रा के निर्यात के लिए 60 दिन या संगत अवधि की अंतिम तिथि तक, जो भी पहले हो, की अनुमति दी जाएगी।

(ग) जिस निर्यातक ने अपनी हकदारी एक विशेष देश/श्रेणी में दूसरे निर्यातक को हस्तांरित की हो, वह उसी देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक से भूतकालीन निष्पादन हकदारी का हस्तांतरण पूर्ण या आंशिक रूप में मांगने के लिए पात्र नहीं होगा।

(घ) जिस निर्यातक ने पूर्ण या आंशिक रूप में विशेष देश/श्रेणी में किसी अन्य निर्यातक के हस्तांतरण द्वारा हकदारी प्राप्त कर ली है तो वह उसी देश/श्रेणी में अन्य निर्यातक को किसी भी हकदारी का हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(ङ) भूतकालीन निष्पादन का हकदार व्यक्ति जो किसी देश श्रेणी में "पहले आए सो पहले पाए" के लघु आदेशों की पद्धति के अंतर्गत किसी हकदारी को प्राप्त करता है, वह इस प्रकार के छोटे आदेशों की हकदारी प्राप्त करने के बाद उस देश/श्रेणी में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी से किसी भी प्रकार का हस्तांतरण करने के लिए पात्र नहीं होगा।

(च) हस्तांतरी के पास हस्तांरित हकदारियां अन्य सभी प्रकार से उन्हीं नियम और शर्तों के अधीन होंगी जो हस्तांतरक के लिए लागू हैं।

7. पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति :

इस पद्धति के अंतर्गत मात्रा का आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर पक्की संविदाओं और साख-पत्रों द्वारा समर्थित आवेदनपत्रों के मद्दे किया जाएगा। साख-पत्र वैध, प्रचलित और अपरिवर्तनीय होना चाहिए। मात्रा का आबंटन केवल लघु आदेशों के लिए किया जाएगा। लघु आदेश वे हैं, जो विभिन्न देश/श्रेणी के लिए वस्त्र आयुक्त द्वारा परिमाणात्मक सीमाओं के भीतर नियत किए गए हों। ऐसी परिमाणात्मक सीमाएं उचित समय के भीतर घोषित कर दी जाएंगी। इस पद्धति के अंतर्गत आबंटन निम्नलिखित के अधीन होगा :—

(1) 1987 के दौरान इस प्रणाली के अंतर्गत आबंटन के लिए आवेदन करने की पात्रता प्राप्त करने के लिए निर्यातकों को परिधान निर्यात संवर्धन परिषद (या सलाई से बुने हुए ऊनी वस्त्रों के लिए ऊन

और ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद के साथ 25 जून, 1984 को या इससे पहले पंजीकृत होना चाहिए और 1983-84 के दौरान आयकर प्रसेसी होना चाहिए।

(2) एक दिन में एक निर्यातक से एक देश/श्रेणी के लिए केवल एक आवेदन-पत्र स्वीकार्य होगा। लेकिन एक से अधिक आवेदन-पत्र दिए जा सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे आवेदन-पत्रों में कुल मांगी गई मात्रा निर्धारित मात्रिक सीमा के भीतर हों। प्रथम अवधि के लिए आवेदन पत्र 16-12-87 को प्राप्त किए जाएंगे परन्तु आबंटन 1 जनवरी, 1987 से किए जाएंगे।

(3) इस पद्धति के अंतर्गत आबंटन 60 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा। तीसरी अवधि के आबंटन केवल 60 दिन या 31 दिसम्बर, 1987 इनमें जो भी पहले हो उस तक वैध होगा।

(4) आबंटन पहले आए सो पहले पाए के आधार पर मंजूर किया जाएगा, और जिस दिन उपलब्ध मात्रा अतिपूर्वकोत हो जाएगी, उस दिन पात्रता का निर्णय उच्चतर इकाई मूल्य वसूली के आधार पर किया जाएगा।

(5) भूतकालीन निष्पादन हकदारी वाला निर्यातक संबंधित देश/श्रेणी के लिए पैरा 6(3) के अनुसार यथा परिकलित अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी का कम से कम 50 प्रतिशत का निर्यात करने के बाद इस पद्धति के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पात्र होगा। उसके लिए भूतकालीन हकदारी के समस्त शेष अभ्यर्पित करने का भी विकल्प होगा कि वह संबंधित देश/श्रेणी का है और तब वह पहले आए सो सो पहले पाए के छोटे आदेशों के अंतर्गत आवेदन करता है बशर्ते कि उसने उस देश/श्रेणी में अपनी भूतकालीन निष्पादन हकदारी से किसी प्रकार का हस्तांतरण नहीं किया है।

(6) विनिर्माता-निर्यातक हकदारी के धारक को पहले आए सो पहले पाए के छोटे आदेश पद्धति के अन्तर्गत आवेदन करने के लिए पात्र बनने से पूर्व अपनी ऐसी हकदारी का पूरा-पूरा उपयोग करना पड़ेगा या उसे उसे अभ्यर्पित करना पड़ेगा।

(7) पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति के अन्तर्गत आबंटन के उद्देश्य के लिए आवेदन इस संबंध में एक शपथ-पत्र देगा कि आयात-निर्यात प्रक्रिया पुस्तक 1985-88 के पैरा 120 में यथा परिभाषित उसकी किसी भी सहयोगी व्यापार संस्थान ने इस पद्धति के अन्तर्गत आबंटन के लिए आवेदन नहीं किया है और यह कि उसके स्वामित्व के अधीन किसी अन्य स्वामित्व वाली व्यापार संस्था ने भी आबंटन के लिए आवेदन नहीं किया है। आगे, प्रथम अवधि के आबंटन के लिए आवेदक इस संबंध में भी शपथ-पत्र देंगे कि उनकी कोई भी सहयोगी व्यापार संस्था कोई भी भूतकालीन निष्पादन हकदारी नहीं रखती है। तथापि सारे 1987 वर्ष उचित प्रपत्र में एक समय दिए गए शपथ-पत्र तथा एक देश अथवा देशों के समूह को भी लिया जा सकता है जिसमें आवेदक इंगित करेगा कि फर्मों में एक 1987 के पूरे वर्ष में एक देश अथवा देशों के समूह के लिए प्रथम आए प्रथम पाए लघु आदेश प्रणाली के अन्तर्गत अकेला आवेदन करेगा।

8. विनिर्माता-निर्यातक पद्धति :

इस पद्धति के अन्तर्गत विनिर्माता निर्यातकों को वार्षिक स्तर के 7 प्रतिशत तक को मात्रा का आबंटन इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि भूतकालीन निष्पादन और विनिर्माता निर्यातक प्रणाली के अन्तर्गत विनिर्माता निर्यातक के लिए कुल आबंटन पैरा 6(3) के अनुसार निकाले गए उसके औसत वार्षिक भूतकालीन निष्पादन के 110 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। स्तर के 50 प्रतिशत की मात्रा भूतकालीन निष्पादन के आधार पर आबंटित की जाएगी और शेष 50 प्रतिशत विनिर्माता-निर्यातक की निर्माण-क्षमता के आधार पर इस पद्धति के अन्तर्गत वस्त्र आयुक्त आबंटन के लिए पात्रता का निश्चय करेगा जिसके लिए वह विस्तृत अनुदेश जारी करेगा।

9. केन्द्रीय/राज्य निगम प्रणाली :

केन्द्रीय/राज्य/संघ शासित सरकारों द्वारा नियंत्रित निगमों और केन्द्रीय राज्य स्तरों की शिखर सहकारी हथकरघा विपणन समितियों के लिए वार्षिक स्तर के लिए अधिकतम 30 प्रतिशत का विशेष आबंटन किया जाएगा। लेकिन यह आबंटन इन निगमों/उच्च स्तरीय समितियों द्वारा केवल सीधे निर्यातों के लिए होगा। इस प्रणाली के अधीन आबंटन इस शर्त के अधीन होगा कि केन्द्रीय/राज्य निगमों को अपने संरक्षण में उत्पादन करना चाहिए। यदि ऐसी निगमों के पास उनके संरक्षण के अधीन उत्पादन सुविधायें नहीं हैं तो उन्हें सूचीबद्ध निर्यातकों या उन विनिर्माताओं द्वारा विनिर्माण नहीं कराना चाहिए जो किसी अन्य निर्यातकों को पहले से माल सम्भरण कर रहे हैं। तथापि, ये शर्तें मंद गति वाली मदों के संबंध में लागू नहीं होंगी। निगम/शिखर समितियां भी पूर्व निष्पादन और आबंटन के पहले आए सो पहले पाए के आधार पर छोटे आदेश की पद्धतियों के अधीन मात्रा के आबंटन के लिए नीति में दी गई शर्तों को पूरा करने के अधीन पात्र होंगी। वस्त्र आयुक्त निगमों/शिखर समितियों की हकदारी निश्चित करेगा।

10. नान-कोटा निर्यातक प्रणाली :

नान-कोटा देशों को निर्यात प्रोत्साहित करने के लिए, सामान्य मुद्रा क्षेत्र के नान-कोटा देशों में घोषित की जाने वाली विशिष्ट (टर्न ओवर) से अधिक निर्यात निष्पादन वाले निर्यातकों से आबंटन के लिए वार्षिक स्तर का 1 प्रतिशत आरक्षित की जाएगी। इस उद्देश्य के लिए जुलाई, 1985 से जून, 1986 तक का निर्यात निष्पादन हिसाब में लिया जाएगा। अन्य सभी शर्तें पी पी ई प्रक्रिया की शर्तों के अनुरूप रहेंगी।

* * * *

11. मंद गति वाली मदें :

मंद गति वाली मदों की पहचान के लिए 1986 के प्रथम चार महीनों का और 1985 का निष्पादन हिसाब में लिया जाएगा। यदि संदर्भ के अन्तर्गत इस अवधि के दौरान किसी मद का निर्यात 1986 की प्रथम अवधि के लिए या पूर्ण 1985 वर्ष के दौरान निर्धारित कोटे के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं हुआ है तो वह मद मंद गति वाली समझी जाएगी। लेकिन सरकार का यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि मांग की प्रवृत्ति और वार्षिक स्तर के उपयोग की प्रगति के अनुसार ऐसा न्यायसंगत हुआ तो सरकार कसौटी में परिवर्तन करेगी।

इस सार्वजनिक सूचना में अन्यत्र दी गई किसी अन्य बात के होते हुए भी मंद गति के रूप में घोषित मदों के संबंध में निम्नलिखित छूट उपलब्ध होंगी :—

(1) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अन्तर्गत पात्रता के लिए वर्ष के दौरान किसी भी समय परिधान निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकरण किया जा सकता है। पैरा 7(1) में उल्लिखित एक आयकरदाता होने की शर्त लागू नहीं होगी।

(2) साखपत्र जरूरी नहीं होगा।

(3) निर्यातक की सामान्य बैंक गारंटी/पेशगी धन निक्षेप के बदले में 10 प्रतिशत का पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करनी पड़ेगी।

(4) पहले आए तो पहले पाए छोटे आदेश के लिए आवेदन-पत्र के मामले में निर्धारित मात्रिक उच्चतम सीमा लागू नहीं होगी। लेकिन यदि कोई आवेदक मंद गति वाली मदों के आबंटन में जो कि तेज वाली मदों की निर्धारित सीमा से दस गुनी अधिक होगी तो उसको तेज गति वाली मदों के लिए अपेक्षित सामान्य बैंक गारण्टी और साखपत्र प्रस्तुत करना होगा। एक देश/श्रेणी में एक ही दिन में प्रस्तुत किए गए आवेदन-पत्र की संख्या पर भी कोई प्रतिबंध नहीं होगा, ऐसी मदों के लिए यदि मांग उपलब्धता से अधिक होगी तो सरकार को मात्रिक सीमा के अन्तर्गत वितरण करने का अधिकार होगा और हकदारी का उचित वितरण के लिए सरकार जो भी उचित समझे, कोई अन्य शर्त लगा सकती है।

(5) पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धति के अन्तर्गत लदान बिलों का सत्यापन मंद गति वाली मदों के लिए उस आबंटन अवधि के अंत तक के लिए वैध होगा जिसके दौरान आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(6) मंद गति वाली मदों के लिए न्यूनतम मूल्य हो सकता है।

(7) 100 प्रतिशत निर्यात अभिमुख एककों और स्वतंत्र व्यापार क्षेत्रों के संबंध में मंद गति वाली मदों के लिए पैरा 7(7) में उल्लिखित शर्तें लागू नहीं होंगी।

12. उन श्रेणियों का आबंटन जो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में विशिष्ट सीमा के अधीन नहीं है :

ऐसी श्रेणी के अधीन विशिष्टिकृत मात्रा जो विशेष सीमा की शर्त के अधीन नहीं आती किन्तु यू. एस.ए. के सारे ग्रुप-2 की सीमा के अधीन आती है, का आबंटन सभी पद्धतियों के अधीन किसी अन्य श्रेणी की ही भांति किया जाएगा।

उपर्युक्त पद्धति के अधीन संवेदनशील मदों के आबंटन के लिए लागू सभी शर्तें ऐसी श्रेणियों के लिए भी लागू होंगी। ऐसा आबंटन ऐसी उन शर्तों के भी अधीन होगा जो इनमें से किसी भी श्रेणी के निर्यात शुरू करने की दिशा में निर्धारित की जाए। ऐसे नियंत्रण के अन्तर्गत आने वाली मदों में विशिष्ट या अस्थाई नियंत्रण के अधीन आने वाली मदों के लिए भूतकालीन निष्पादन हकदारी और निर्यात-विनिर्माता में परिवर्तन और अनियंत्रित मदों में भी उचित परिवर्तन के आंकड़ों का उपयोग करने की अनुमति परिधान निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा ग्रुप सीमा के अधीन दी जा सकती है।

13. न्यूनतम निर्यात (न्यूनतम) मूल्य :

प्रत्येक देश/श्रेणी के लिए सामान्यतः केवल एक न्यूनतम मूल्य होगा। वस्त्र आयुक्त न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेंगे। उनको निर्धारित करते समय वे उन सभी संबंधित तथ्यों पर ध्यान देंगे जिसमें ये भी तथ्य शामिल है कि क्या एक विशेष पोशाक को मंद गति वाली मद के रूप में अभिज्ञात किया गया है या नहीं।

14. निर्यात हकदारी के सत्यापन की वैधता अवधि :

जहां वैधता अवधि पैरा 7(3) में दिए गए के अनुसार होगी, लदान बिल पर सत्यापन पहले आए सो पहले पाए छोटे आदेश पद्धतियों के मामले के अतिरिक्त 30 दिनों की अवधि के लिए वैध होगा।

15. साख-पत्र

सभी पोशाकों और सलाई से बुने हुए वस्त्रों के लिए आबंटन साख-पत्र की शर्तों के अनुसार किया जाएगा। साख पत्र प्रचालित, वैध और अपरिवर्तनीय होने चाहिए। पहले आए सो पहले पाए लघु आदेशों और केन्द्रीय/राज्यों निगम पद्धतियों के मामले में साख-पत्र, आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत किए जाने चाहिए। भूतकालीन निष्पादन हकदारी, विनिर्माता निर्यातक हकदारी और गैर-कोटा निर्यातक पद्धतियों के मामले में साख-पत्र प्रमाण-पत्र के समय भेजने चाहिए। मंद गति वाली मदों के लिए साखपत्रों की आवश्यकता नहीं है जैसा कि पैरा 11 में दिया गया है।

16. पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारंटी और उनका जब्त करना :

(1) भूतकालीन निष्पादन पद्धति विनिर्माता-निर्यातक पद्धति और गैर-कोटा निर्यातक पद्धति के मामले में निर्यात को पेशगी धन या बैंक गारण्टी प्रस्तुत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसे 30-4-87 को इससे पहले आबंटन का 50 प्रतिशत उपयोग कर लेना चाहिए, 31-7-87 को या इससे इससे पहले आबंटन का 75 प्रतिशत उपयोग कर लेना चाहिए और 30-9-87 तक 100 प्रतिशत का।

(2) भूतकालीन निष्पादन हकदारी, विनिर्माता-निर्यातक हकदारी तथा नान-कोटा निर्यातक हकदारी ही वैधता 30 सितम्बर, 1987 तक प्रतिबंधित होगी। लेकिन यह वैधता जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 20 प्रतिशत की दर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन साख-पत्र द्वारा समर्थित विशेष ठेकों के लिए 31 दिसम्बर, 1987 तक बढ़ाई जा सकती है।

(3) पहले आए सो पहले पाए लघु आदेशों और केन्द्रीय/राज्य निगम पद्धतियों के मामले में, निर्यातक को आवंटित मात्रा के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत की दर पर पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी द्वारा समर्थित निष्पादन बांट देना होगा।

(4) एक निर्यातक जो पहले आए सो पहले पाए लघु आदेशों अथवा केन्द्रीय/राज्य निगमों की पद्धतियों के अधीन एक विशेष अवधि के अन्तर्गत निर्यात हकदारी का 90 प्रतिशत निर्यात नहीं करता है उसकी पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी जब्त नहीं होगी। एक निर्यातक जो 75 प्रतिशत तक लेकिन 90 प्रतिशत से कम निष्पादन करता है उसका अनुपातिक जब्त किया जाएगा। यदि निर्यात हकदारी आबंटन का उपयोग 75 प्रतिशत कम है तो निर्यात की पूरी ई एम डी/बैंक गारण्टी जब्त की जाएगी। 30 सितम्बर, 1987 से आगे भूतकालीन निष्पादन हकदारी/विनिर्माता-निर्यातक हकदारी और गैर-कोटा निर्यातक पद्धति के पुनर्वीक्षीकरण के मामले में यदि व्यक्तिगत संविदाओं के अंतर्गत 90 प्रतिशत की मात्रा उपयोग में नहीं लाई लाई जाती है तो ई एम डी/बैंक गारण्टी की संपूर्ण धनराशि जब्त कर ली जाएगी। ये प्रावधान जब भी लागू होंगे, अनिवार्य बढ़ता की शर्त के अधीन होंगे।

(5) मंद गति वाली मदों के लिए पेशगी धन निक्षेप/बैंक गारण्टी पैरा 11(3) और (4) में यथा उल्लिखित लागू होगी।

(6) केन्द्रीय/राज्य निगमों के मामले में जहां उपयोग वैधता अवधि के भीतर 75 प्रतिशत से कम नहीं है, निर्यातक को निर्यात हकदारी वर्ष के भीतर अगली आबंटन अवधि के लिए समयवृद्धि लेनी होगी। ऐसी समयवृद्धि के लिए आवेदन-पत्र सम्बद्ध आबंटन अवधि के अन्त से एक मास के भीतर दाखिल करने चाहिए। ऐसे मामलों में, निर्यातकों को शेष मात्रा के लिए सामान्य दर से दुगुनी दर पर पेशगी धन राशि जमा करनी होगी। बैंक गारण्टी देनी होगी। पूर्ण रूप से निर्यात करने में असफल होने पर पेशगी धनराशि निक्षेप/बैंक गारण्टी पूरी तरह जब्त हो जाएगी।

(7) वे व्यक्ति जिन्हें कोटे आबंटित किए जाते हैं, किन्तु वे उनका पूरा-पूरा उपयोग नहीं करते हैं तो इस संबंध में जो कुछ अन्य कार्रवाई की जाएगी उसे ध्यान में रखे बिना उन्हें और आगे कोटा देने से अपात्र घोषित कर दिया जाएगा।

17. पेशगी की धनराशि/बैंक गारंटी जब्त करने के विरुद्ध अपील :

आबंटित निर्यात हकदारी के उपयोग न करने के लिए पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारण्टी के जब्त करने के विरुद्ध निर्यातकों द्वारा किए गए प्रतिवेदनों पर उपयुक्त विचार करने के लिए निम्नलिखित क्रियाविधि लागू होगी। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा पेशगी की धनराशि निक्षेप/बैंक गारण्टी जब्त किए जाने पर संबंध निर्यातक ऐसे जब्तीकरण की सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर वस्त्र आयुक्त, बम्बई को उसके विरुद्ध अपील कर सकता है। वस्त्र आयुक्त ऐसा प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद शीघ्र से शीघ्र निर्णय देंगे। यदि किसी मामले में, निर्यातक वस्त्र आयुक्त के निर्णय से असन्तुष्ट हो तो वह निर्णय प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अपील कर सकता है। दूसरी अपील वस्त्र मंत्रालय को की जाएगी और उस पर सरकार द्वारा कायम की गई समिति द्वारा विचार किया जाएगा।

18 30 सितम्बर, 1987 से उपलब्ध मात्रा को शामिल करना

इस सार्वजनिक सूचना में किसी भी अन्य स्थान पर निहित किसी भी नियम को ध्यान में रखे बिना ही 30 सितम्बर, 1987 को उपलब्ध शेष मात्रा चाहे वह बिना स्तरों से या समर्पण से प्राप्त हो, एक सामान्य समूह में मिलाई गई समझी जाएगी और विभिन्न विभागों के लिए किसी आरक्षण के बिना पहले आए सो पहले पाए लघु आदेश पद्धति के अधीन उस मात्रा को बांटा जाएगा।

19. निर्यात हकदारी आबंटन का पर्यवेक्षण

वस्त्र आयुक्त, बम्बई निर्यात हकदारी के आबंटन से संबंधित मामलों पर दिन प्रतिदिन पर्यवेक्षण जारी रखेगा। एक समन्वय समिति, जिसके वस्त्र आयुक्त अध्यक्ष होंगे, और सम्बद्ध निर्यात संवर्धन परिषदों के प्रतिनिधि सदस्य होंगे, समय समय पर नीति के परिचालन की पुनरीक्षा करेगी। विचारों में विभिन्नता होने पर वस्त्र आयुक्त का निर्णय अन्तिम होगा।

20. सीमा शुल्क द्वारा निकासी

(क) नियंत्रण के अधीन उत्पाद जिनमें वे मदें भी शामिल हैं जो यू एस ए में विशिष्ट सीमा के अधीन न हों।

पोतलदान की अनुमति सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा पोतलदान के पत्तनों पर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या इस उद्देश्य के लिए नियत किसी अन्य उपयुक्त निकाय द्वारा जारी किए गए अलग-अलग माल परेषणों के लिए मूल पोत-परिवहन बिलों पर और उनकी अनुलिपि प्रति पर पृष्ठांकन के आधार पर दी जाएगी।

(ख) हथकरघा उत्पाद

जहां तक कनाडा को नियंत्रित मदों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों और आस्ट्रिया को सूती हथकरघा पोशाकों के निर्यात का संबंध है, वहां सीमा शुल्क द्वारा पोतलदान की अनुमति वस्त्र आयुक्त द्वारा कम्बीनेशन प्रपत्र के भाग 2 में, "निरीक्षण पृष्ठांकन" के आधार पर दी जाएगी।

(ग) "भारतीय मदों" के अधीन आने वाली मदें

उन भारतीय मदों के बारे में जो कि ठेठ भारतीय परम्परागत लोक प्रचलित उत्पाद हैं, यू एस ए यूरोपीय आर्थिक समुदाय सदस्य राज्यों, फिनलैंड, आस्ट्रिया, स्वीडन, नार्वे और कनाडा को निर्यात के लिए पोतलदान सीमा शुल्क द्वारा विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) के कार्यालय द्वारा जारी किए गए उचित प्रमाण पत्रों के आधार पर अनुमत किया जाएगा।

21. (क) निर्यात प्रमाणपत्र, उद्गम प्रमाण पत्र और बीसा

संगत द्विपक्षी समझौते के अधीन निम्नलिखित अपेक्षित प्रमाण पत्र परिधान निर्यात संवर्धन परिषद या उनके नाम में विधिवत प्राधिकृत किसी अन्य परिषद द्वारा जारी किए जायेंगे :

(1) यूरोपीय आर्थिक समुदाय (क) नियंत्रण के अधीन सभी पोशाक/बुनी हुई मदों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र और उद्गम प्रमाणपत्र।

(ख) सभी गैर नियंत्रित पोशाकों/बुनी हुई मदों के लिए उद्गम प्रमाणपत्र।

(2) फिनलैण्ड : नियंत्रित मदों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।

(3) स्वीडन : नियंत्रित मदों के लिए निर्यात प्रमाण पत्र।

(4) आस्ट्रिया : नियंत्रण या निगरानी की शर्त के अधीन सूती, पावरलूम/मिल निर्मित पोशाकों के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।

(5) नार्वे : उन श्रेणियों के संबंध में जो विशिष्ट सीमाओं के अन्तर्गत आती हैं और निगरानी के अधीन श्रेणियों (मिल निर्मित/शक्ति चालक करघा) के लिए भी निर्यात प्रमाण पत्र और मूलतः प्रमाण पत्र।

(6) कनाडा : बुने हुए, पावरलूम, और मिल निर्मित मूल की पोशाकों जो नियंत्रण के अधीन हैं, केवल 500 या इससे कम कनेडियन डालर मूल्य के परेषण के लिए निर्यात प्रमाणपत्र।

(7) यू एस ए (क) यू एस डालर 250 से अधिक मूल्य वाले परेषण की पोशाकों/बुने हुए वस्त्रों के लिए बीसा।

(ख) यू एस डालर 250 या इससे कम मूल्य के परेषण की पोशाकों बुने हुए वस्त्रों के लिए छूट प्रमाण पत्र।

(ख) हथकरघा प्रमाण पत्र

नियंत्रित मदों के संगत सभी हथकरघा पोशाकों के कनाडा और सूती हथकरघा पोशाकों के आस्ट्रिया को निर्यात के मामले में, ऐसे उत्पादों के लिए द्विपक्षीय समझौतों में निर्धारित शर्तों के अनुसार वस्त्र समिति प्रमाण पत्र जारी करेगी। जहां तक नार्वे को निगरानी मदों के संगत हथकरघा पोशाकों के निर्यात का संबंध है, हथकरघा मूल रूप से बताते हुए परिधान निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा एक प्रमाण पत्र अपेक्षित होगा। वस्त्र समिति प्रमाण पत्र के आधार पर परिधान निर्यात संवर्धन परिषद हथकरघा मूल को बताएगा।

22. पूर्व सूचना दिए बिना पहले के किसी भी उपबन्ध का संशोधन करने के लिए सरकार को अधिकार है।

23. संबद्ध निर्यात संवर्धन परिषद और वस्त्र आयुक्त, वस्त्र समिति और विकास आयुक्त के कार्यालयों के पते निम्न प्रकार से हैं :

1. परिधान निर्यात संवर्धन परिषद,
सहयोग बिल्डिंग, चौथी मंजिल,
58, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली 110019.

2. ऊन तथा ऊनी वस्त्र निर्यात संवर्धन परिषद,
612/714, अशोक इस्टेट, 24 बाराखम्बा रोड,
नई दिल्ली 110001

3. वस्त्र आयुक्त का कार्यालय,
पोस्ट बाक्स सं. 11500, बम्बई 400 020.

4. वस्त्र समिति,
"क्रिस्टील, 79, डा. एनी बिसेंट रोड,
बम्बई 400 018

5. विकास आयुक्त (हस्तशिल्प),
वैस्ट ब्लाक 7, आर. के. पुरम, नई दिल्ली 110 022

राजीव लोचन मिश्र
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE

EXPORT TRADE CONTROL

PUBLIC NOTICE NO. 20-ETC (PN)/86

New Delhi, the 6th October, 1986

Subject : Scheme for exports under OGL-3 of garments and knitwear to USA, EEC Member States, Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada from 1st January, 1987 to 31st December, 1987.

F. No. 2/65-A/85-E-I.—This scheme relates to the exports of certain readymade garments and knitwear items to USA, EEC Member States (Federal Republic of Germany, France, Italy, Benelux, United Kingdom, Irish Republic, Denmark, Greece, Portugal and Spain), Austria, Finland, Sweden, Norway and Canada for the period 1st January, 1987 to 31st December, 1987.

2. Agencies for Administration of the Scheme :

(i) Unless otherwise directed, the Apparel Export Promotion Council (AEPC), New Delhi, will allocate export entitlements and do the necessary certification for the export of all garments and knitwear covered by this scheme, except that the entitlements for woollen knitwear would be allocated by the Wool and Woollen Export Promotion Council (W&WEPC), New Delhi. However, in respect of Woollen knitwear necessary certification will continue to be done by the Apparel Export Promotion Council. List of

categories of textile products covered under this scheme are available with Apparel Export Promotion Council and W&WEPC. Government reserves the right to make changes, as considered appropriate with regard to the agencies for the administation of the scheme.

(ii) Export entitlement will be allowed only to exporters who are registered with competent Registering Authorities.

3. Systems and Quantum of Allotment :

(i) Quantities for export will be allocated according to the following systems at rates indicated against each of them :—

Systems	% of the annual level
(a) Past Performance	65
(b) First Come-First Served Small Order	25
(c) Manufacturer-Exporters	7
(d) Central/State Corporations	2
(e) Non-Quota Exporters	1

(ii) Government reserves the right to use flexibilities provided in the Bilateral agreements as considered appropriate.

4. Division of the Allotment Year and Apportionment of Quantities among periods.

(i) In the case of PPE, MEE and Non-quota Exporters systems, the year will be divided into three periods. The first period will be from 1st January to 30th April, the second period will be from 1st May to 31st July and the third period from 1st August to 30th September. A minimum of 50 per cent of the total allotment made should be utilised within the first period; Another 25 per cent will have to be utilised between 1st May and 31st July and the remaining 25 per cent to be utilised between 1st August and 30th September. Any unutilised balance at the end of each period shall be automatically surrendered. The allotment may however be made valid beyond 30th September as per provisions in Para 16(ii).

(ii) In the case of Central/State Corporations and FCFS Small Order System, the year will be divided into three-4 monthly periods namely January-April, May—August and September—December, in the case of woven items, and into two periods January—August and September—December for knitted items. In the case of Central/State Corporations system quantities for woven items will be distributed among the 3 periods in the ratio of 50 : 35 : 15 and in the case of FCFS Small Order system 15 per cent of the annual level will be allotted in the first period, 7 per cent in the scond period and 3 per cent in the third period whereas the quantities for knitted items will be distributed between the two periods in the ratio of 85 : 15 in both the systems.

(iii) The above percentages may be readjusted by the Government depending upon trends in the overseas market.

5. Reservation of Segments :

(i) In the case of FCFS Small Order and Central/State Corporation Systems wherever knitted garments are cluobed with woven garments for allocation, 10 per cent of the quantity available would be reserved for knitted garments.

(ii) For childern's garments 10 per cent of the quantities available in all categories at the terminal dates will be reserved.

(iii) For woollen garments there will be reservation in terms of quantity in specified countries and categories. This will be announced by the Textile Commissioner.

6. Past Performance System :

(i) Agency for calculation of past performance entitlements :

The agency for calculation of the entitlement of quantities under Past Performance System in respect of each exporter will be AEPC, New Delhi. Textile Commissioner will supervise this work of AEPC.

(ii) Eligibility for Past Performance Entitlement System.

An exporter will be eligible for allotment of quantities under the Past Performance System for the year 1987 only if he has export performance in the relevant country/category during any two years of the three years viz. 1984, 1985 and January—June, 1986.

(iii) Base period and ceiling :

The Past Performance Entitlement will be determind for each country/category combination pro-rata on the basis of average annual exports during the base period of 1984, 1985 and January—June, 1986. The pro-rata allotment of Past Performance Entitlement will be subject to a maximum ceiling equivalent to the average annual export performance of the exporter during the base period in the relevant country/category. In the case of any subsequent changes in the entitlement of any individual exporter, the entire exercise of pro-rata quantity need not be reopened but suitable adjustments will be made in the entitlement of the exporter.

(iv) Transferability of Past Performance Entitlement :

Past Performance Entitlement will be transferable either in full or in part to another registered exporter of garments at any time upto 30th September, 1987 subject to the following terms and conditions :

(a) All transfers of Past Performance Entitlement would only be allowed on submission of 10 per cent Bank Guarantee by the transferee.

(b) Transferee would be allowed 60 days or till the last date of relevant period whichever is earlier to export the transferred quantity.

(c) Shipments against such transfered entitlement will be counted as the exports of the transferee.

(d) An exporter who obtains entitlement by transfer from any other exporter in a particular country|category either in full or in part will not be eligible to transfer any entitlement to another exporter in the same country|category.

(e) A Past Performance Entitlement holder who obtains any entitlement under First Come First Served Small Order System in a particular country|category will not be eligible to effect any transfer from his Past Performance Entitlement in that country|category after he obtains such small order Entitlement.

(f) The transferred entitlements in the hands of the transferee will be subject, in all other respects, to the terms and conditions as those applicable to the transferor.

7. First Come-First-Served Small Order System.

Under this system, quantities will be allotted on First-Come-First-Served basis against applications supported by firm contracts and Letters of Credit. Letters of Credit should be valid, operative and irrevocable. Allotment of quantities shall be made only for small orders which are within the quantititive limit fixed by the Textile Commissioner for different country|category. Such quantitative limits will be announced in due course. The allotment under this system will be subject to the following conditions.

(i) The exporters should have been registered with the Apparel Export Promotion Council (or W&WEPC for Woollen knitwear) on or before 30th June, 1984 and should be an income tax assesse in 1983-84 to be eligible to apply for allocation under this system during 1987.

(ii) Only one application will be admissible from an exporter for one country|category for one day. However, more than one application can be made provided the total quantity covered by such application is within the stipulated quantitative ceiling. The application for the 1st period will be received on 16-12-1986 but allotments will be made from 1-1-1987.

(iii) Allotment under this system shall be valid for a period of 60 days. In the third period allotment shall be valid only upto 31st December, 1987.

(iv) Allotment will be granted on First-Come-First-Served basis, and on a day when available quantities are over subscribed the eligibility will be decided on the basis of higher unit price realisation.

(v) An exporter with Past Performance Entitlement will be eligible for applying under this system after exporting atleast 50 per cent of his Past Performance Entitlement in the relevant country|category as worked out according to para 6(iii). He will also have the option of surrendering the entire balance of Past Performance Entitlement that he holds in the relevant country|category and then applying under First-Come-First-Served Small Order System, provided he has not effected any transfer from his Past Performance Entitlement in that country|category.

(vi) A Manufacturer-Exporter Entitlement holder will have to utilise or surrender his such entitlement fully before becoming eligible to apply under the First-Come-First Served Small Order System.

(vii) For the purpose of allotment under the FCFS Small Order System, an applicant should give an affidavit that none of his associate concerns as defined in paragaraph 120 of the Handbook of Import-Expect Precedures 1985-88 has applied for allotment under this system and also that no other proprietorship concern under his proprietor-ship has applied for allotment under this system. Further the applicants for 1st period allotment should also give an affidavit that none of their associate concerns has any Past Performance Entitlements. However, a one time affidavit in the appropriate form for the whole of 1987 and applicable to a country or group of countries can also be taken in which the applicant will indicate one of the firms that will alone apply under First-Come-First-Served Small Order System throughout 1987 for a country or group of countries.

8. Manufacturer-Exporter System.

In this system quantities to the extent of 7 per cent of the annual level will be allotted to Manufacture-Exporters subject to the condition that the total allocation for a Manufacturer-Exporter under Past Performance and the Manufacturer-Exporter Systems will neither exceed 110 per cent of his average annual performance, as worked out according to the Para 6(iii) nor their manufacturing capacity. 50 per cent of level will be allotted on the basis of Past Performance and the remaining 50 per cent on the basis of manufacturing capacity of manufacturer exporters. The Textile Commissioner will decide the eligibility for allotment under this system for which he will issue detailed instructions.

9. Central|State Corporations System:

For Corporations under the control of the Central|State|Union Territory Governments and Apex-Co-operative Handloom Marketing Societies at the Central|State levels, there will be special allocation not exceeding 2 per cent of the annual level. The allocation will, however, be made only for direct exports by these corporations|Apex Societies. The allocation under the system will be subject to the condition that the Central|State Corporation should have its own manufacturing facilities. The Corporations|Apex Societies will also be eligible for allotment of quantities under Past Performance and First Come First Served Small Orders Systems of allotment subject to fulfilment of conditions laid down in the policy. The Textile Commissioner will determine the entitlement of the Corporations|Apex Societies.

10. Non-Quota Exporters System :

In order to encourage exports to non-quota countries 1 per cent of the annual levels will be reserved for allocation to exporters with export performance above a specified turn over to be announced, in the GCA non-quota countries. For this purpose the export performance for the period July, 1985 to June, 1986 will be taken into account. All other conditions will be the same as under PPE System.

11. Slow Moving Items :

For identification of slow moving item, performance during the first four months of 1986 and the performanee during 1985 will be taken into account. An item would be termed slow moving if during the period under reference its exports have not exceeded 75 per cent of the level earmarked for the first four months of 1986 or during the entire year 1985. Government, however, reserves the right to change the criteria during the course of the year, if warranted by the demand trend and pace of utilisation of annual levels.

Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice, the following relaxations will be available in respect of items declared slow moving:—

(i) Registration with AEPC|W&WEPC can be done at any time during the year for eligibility under the First-Come-First-Served Small Order System. The condition of being an income tax assessee referred to in para 7(i) will not apply.

(ii) There shall be no compulsory Letter of Credit stipulation.

(iii) The exporter shall have to furnish 1 per cent Earnest Money Deposit|Bank Guarantee in lieu of normal Bank Guarantee|Earnest Money Deposit.

(iv) The quantitative ceiling stipulated in the case of First-Come-First-Served Small Order application shall not be enforced. However, if any applicant seeks allocation in a slow moving item exceeding 10 times the ceiling on corresponding fast moving items, he will be required to submit the normal BG and LC required for fast moving items. There shall be no restrictions on the number of applications that can be submitted in one day in the country|category. Should the demand for such items exceed availability, the Government, has the right to distribute the same within a quantitative ceiling and any other condition which the Government, may consider necessary for proper distribution of entitlement.

(v) Certification of shipping bills under First-Come-First-Serevd Small Order system for slow moving items will be valid upto the end of the allotment period during which the application has been submitted.

(vi) There may be separate floor prices for slow moving items.

(vii) The conditions stipulated in para 7(vii) will not apply to slow moving items in respect of 100 per cent EOUs and Free Trade Zones.

12. Allocation of Categories not subject to specific limit in U.S.A. and Canda.

A specified quantity under the categories not subject to specific limit but subject to overall group II limit in USA|Group I limit in Canada will be allocated under all systems like any other category. All conditions applicable to allocation of sensitive items under the above systems will also be applicable to allocation of such categories. Such allocations will also be subject to any other condition that may be stipulated in the event of limitations on exports being introduced on any of these categories. Conversion of Past Performance Entitlement Manufacturer-Exporter and Non-quota Exporter Entitlements for items under specific or temporary restraint into items not covered by such restraints and also conversion among non-restrainst items using appropriate conversion factors, may be permitted by the Apparel Export Promotion Council within the Group ceiling.

13. Minimum Export (Floor Prices) :

Normally, there shall be only one floor price for each country|category. However, a lower floor price may be fixed for slow moving items. The Textile Commissioner will prescribe floor prices. In determining them he will take into account all relevant factors including the fact whether a particular item has been identified as slow moving one or not.

14. Validity Period of Certification of Export Entitlement.

A certification on the shipping bills shall be valid for a period of 30 days except in the case of First-Come-First-Served Small Order System were the validity period will be as stipulated in Para 7(iii).

15. Letter of Credit :

The allocation for all garments and knitwear will be made on letter of credit terms. Letter of Credit should be operative, valid and irrevocable. In the case of First-Come-First-Served Small Orders and Central|State Corporations System, Letter of Credit should be submitted alongwith the application. In the case of Past Performance Entitlement Manufacturer-Exporter Entitlement systems and Non-quota Exporter, Letter of Credit should be produced at the time of obtaining certification. Letters of Credit will not be required for slow moving items declared as such in terms of para 11.

16. Earnest Money Deposit|Bank Guarantee and forfeiture thereof.

(i) In the case of Past Performance System, Manufacturer-Exporter System and Non-quota Exporters system, exporter shall not be required to furnish Earnest Money Deposit or Bank Guarantee. However, he must utilise 50 per cent of the allocation on or before 30-4-1987, 75 per cent of the allocation on or before 31-7-1987 and 100 per cent by 30-9-1987. The unutilised portion during any period will automatically stand surrendered except as provided in para (ii) below.

(ii) The validity of Past Performance Entitlement, Manufacturer Exporter Entitlement and Non-Quota Exporters Entitlement would be restricted to 30th September, 1987. However, validity can be extended, upto 31st December, 1987 against specific contracts backed by Letter of Credit subject to submission of Earnest Money Deposit|Bank Guarantee at the rate of 20 per cent of FOB value.

(iii) In the case of First-Come-First-Served-Small Order and Central|State Corporations system, an exporter shall be required to give performance bond backed by Earnest Money Deposit|Bank Guarantee @ 5 per cent of the FOB value on the quantities applied for.

(iv) An exporter who exports not less than 90 per cent quota of export entitlement in a particular period under FCFS Small Orders or Central|State Corporations Systems will not be liable to forfeiture of EMD|BG. An exporter who performs not less than 75 per cent but less than 90 per cent will be liable to proportionate forfeiture. If utilization of export entitlement allocation is less than 75 per cent the exporter will be liable to forefeiture of EMD|BG in full. In the case of revalidation of PPE|MEE and Non-quota Exporter systems beyond 30-9-1987 the entire amount of EMD|BG will be forfeited unless 90 per cent of the quantity covered by individual contracts is utilised. These provisions will be subject to condition of of force majeure wherever these arise.

(v) For slow moving items the Earnest Money Deposit|Bank Guarantee as indicated in paras 11 (iii) and (iv) will be applicable.

(vi) In the case of Central|State Corporations where utilisation is not less than 75 per cent within the validity period exporter will have the option to seek extension for the next allotment period within the export entitlement year. Applications for such extension would be filed within one month of the end of the relevant allotment period. In such case exporter will have to furnish EMD|BG at double the normal rate for balance quantity. In the case of his failure to export fully, the EMD|BG will be liable to be forfeited in full.

(vii) Persons to whom export entitlements are allotted but who do not utilise them fully would render themselves liable to disqualification from getting entitlements in future without prejudice to any other action that may be taken in this behalf.

17. Appeal Against forfeiture of EMD|BGS.

For the purpose of giving the consideration to representations made by the exporters against forfeiture of EMD|BG for non-utilisation of allotted export entitlement, the following procedure will apply. On forfeiture of EMD|BG by the AEPC the exporter concerned may appeal against such forfeiture to the Textile Commissioner, Bombay within 15 days of receipt of the communication regarding the forfeiture. The Textile Commissioner shall upon receipt of the representation give a ruling as early as possible. If in any case the exporter is not satisfied with the decision of the Textile Commissioner he may prefer an appeal against the decision within 15 days of receipt of the communication conveying the decision. The second appeal will be with the Ministry of Textiles and will be dealt with by the Appellate Committee constituted by the Government.

18. Merger of Available Quantities on 30th September, 1987.

Notwithstanding anything contained elsewhere in this Public Notice, all balance quantities available as on 30th September, 1987 from unallocated levels or surrenders from all system shall stand merged into a common pool and shall be allocated under the First-Come-Served Small Order system without any reservation for different segments.

19. Supervision of Allocation of Export Entitlement:

The Textile Commissioner, Bombay will continue to exercise day to day supervision over the matters relating to allocation of export entitlements. A Co-ordination Committee with the Textile Commissioner as Chairman and with the representatives of the concerned EPCS as Members will review the operation of the policy periodically. On matters where there is difference of opinion, the decision of the Textile Commissioner will be final.

20. Clearance by Customs :

(A) Products under restraint including items not subject to specific limits in USA.

Shipments will be allowed by Customs Authorities at the ports of shipment after verifying the certification of export entitlement on the original and duplicate of shipping bills for individual consignments issued by the Apparel Export Promotion Council or any other appropriate agency designated for this purpose.

(B) Handloom Garments.

In so far as exports of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada, Cotton handloom garments to Austria, surveillance items to Norway are concerned, shipments will be permitted by the Customs on the basis of inspection Endorsement by the Textile Committee in part 2 of the combination form.

(C) Garments falling under 'India Items' :

In respect of 'India Items' which are traditional folklore handicraft textile products of India, shipments will be permitted by the Customs for exports to EEC, USA, Finland, Austria, Sweden, Norway and Canada on the basis of appropriate Certificates issued by the Office of the Development Commissioner (Handicrafts).

21 (A) Export Certificate, Certificate of Origin and VISA.

The following certificates required under the relevant bilateral textile agreements will be issued by the Apparel Export Promotion Council or any other Agency duly authorised in this behalf :—

(i) EEC—(a) Export Certificates and Certificate of origin for all garment|knitwear items under restraint.

(b) Certificates of Origin for all non-restrained garments|knitwear items.

(ii) Finland.—Export Certificates for restrained items.

(iii) Sweden.—Export Certificates for restrained items.

(iv) Austria.—Export Certificates for cotton powerloom|millmade garments subject to restraint or surveillance.

(v) Norway.—Export certificate and certificate of origin in respect of categories subject to specific limits and also categories (mill made|powerloom) under surveillance.

(vi) Canada.—Export Certificate for garments of knitted, powerloom and millmade origin which are subject to restraint except for consignments valued at Canadian $ 500 or less.

(vii) USA.—(a) Visa for all garment|knitwear consignments valued over US $ 250.

(b) Exempt certification for consignments valued at US $ 250 or less.

(B) Handloom Certificate.

In the case of export of all handloom garments corresponding to restrained items to Canada and of cotton handloom garments to Austria the Textile Committee will issue the certificate as prescribed in the bilateral Agreements for such products. In so far as export of handloom garments corresponding to Surveillance items to Norway an export certificate by by the AEPC indicating the handloom origin will be required. AEPC will indicate handloom origin on the basis of Textile Committee Certificate.

22. Government reserves the right to make amendments to any of the foregoing provisions without giving prior notice.

23. The addresses of the concerned Export Promotion Councils and of the offices of the Textile Commissioner, Textile Committee and Development Commissioner (Handicrafts) are as follows :—

1. The Apparel Export Promotion Council, Sahyog Building, 4th Floor, 58, Nehru Place, New Delhi.

2. The Wool and Woollen Export Promotion Council, 612|714, Ashoka Estate, 24, Barakhamba Road, New Delhi-110001.

3. Office of the Textile Commissioner, Post Box 11500, Bombay-400028.

4. Textile Committee, 'Crystal' 79, Dr. Annie Besant Road, Bombay-400018.

5. Development Commissioner (Handicrafts), West Block VII, R. K. Puram, New Delhi-110022.

R. L. MISHRA, Chief Controller of Imports and Exports

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1986